



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1932 (श0)
(सं0 पटना 794) पटना, बुधवार 22 दिसम्बर 2010

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

21 दिसम्बर 2010

सं0सं0-16/एम 1-03/08-1026 (दे0 चि0)/ स्वा0 (दे0चि0)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा जिला एवं राज्य आयुष (गैर शैक्षणिक) चिकित्सकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय - 1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ 1-(1) यह नियमावली बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2010 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह नियमावली बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. परिभाषाएँ 1-इस नियमावली में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा कोई बात अपेक्षित न हो :-

(क) “राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति” से अभिप्रेत है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मार्गदर्शन के आधार पर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत गठित समिति;

(ख) “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

(ग) “विभाग” से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग ;

(घ) “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ;

(च) “विशिष्टता प्राप्त चिकित्सक” से अभिप्रेत है वह चिकित्सक जो मान्यता प्राप्त आयुष प्रक्षेत्र के शिक्षण संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री यथा एम0डी0, एम0एस0 अथवा समकक्ष या उच्चतर डिग्री प्राप्त किया हो और प्राप्त डिग्री भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद /केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद से मान्य हो ;

(छ) “ आयुष” से अभिप्रेत है आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक, युनानी, सिद्ध एवं होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धतियाँ ;

(ज) “निदेशालय” से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभागाधीन आयुष निदेशालय ;

(झ) “सम्बर्ग” से अभिप्रेत है पृथक इकाई के रूप में सेवा का कोई भाग, तथा

(ट) “वरीयता” से अभिप्रेत है मूल कोटि की सम्बर्गीय वरीयता । आयुष प्रक्षेत्र के सम्बर्गीय मूल कोटि के उपर के उच्चतर पद सम्बर्गीय पद होंगे ।

3. सेवा का गठन ।-बिहार जिला आयुष चिकित्सा / राज्य आयुष चिकित्सा सेवा निम्नलिखित दो संवर्गों में विभाजित होगी :-

(क) जिला आयुष चिकित्सा संवर्ग ;

(ख) राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग ।

अध्याय - 2

जिला आयुष चिकित्सा सम्बर्ग

4. (क) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा राजकीय औषधालय (आयुर्वेद, युनानी एवं होमियोपैथिक) में कार्य करनेवाले सभी चिकित्सक जिला आयुष चिकित्सा संवर्ग में रहेंगे। रेफरल अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल, सदर अस्पताल, आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में, राजकीय आयुर्वेद एवं युनानी औषध निर्माणशाला तथा शोध इकाई में कार्य करने वाले सभी चिकित्सक, अध्याय-3 के नियम-5 के खंड(ख) राज्य आयुष चिकित्सक सेवा विशेषज्ञ, उप सम्बर्ग के चिकित्सक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उपाधीक्षकों एवं प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं रेफरल अस्पतालों के प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग में रहेंगे ।

(ख) प्रत्येक वर्ष उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए विहित प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सकों का चयन विज्ञापन के आधार पर किया जायेगा जिसके लिए मार्गदर्शन विभाग द्वारा समय-समय पर, अलग से निर्गत किया जायेगा।

(ग) आयु सीमा-सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर नियुक्ति हेतु यथा विहित अधिकतम आयु सीमा लागू होगी।

(घ) आरक्षण - राज्य सरकार द्वारा विहित आरक्षण नियमों का अनुपालन आवश्यक होगा।

(ङ) जिला आयुष चिकित्सा संवर्ग में चिकित्सक अनुबंध के आधार पर चयनित होंगे एवं कम से कम दो वर्षों तक कार्य करेंगे। उनकी संतोषप्रद सेवा रहने पर, सेवा का विस्तार किया जा सकेगा। इस संवर्ग के सभी पद अनुबंध के आधार पर भरे जायेंगे और उन पदों पर स्थायी / अस्थायी नियुक्ति नहीं होगी। इस संवर्ग के चिकित्सक सम्बंधित जिला में कहीं भी स्थानान्तरित किये जा सकते हैं ।

अध्याय - 3

राज्य आयुष चिकित्सा संवर्ग

5. राज्य आयुष चिकित्सा सम्वर्ग में निम्नलिखित दो उप सम्वर्ग होंगे :-

(क) राज्य आयुष चिकित्सा सेवा सामान्य कर्त्तव्य उप सम्वर्ग, तथा

(ख) राज्य आयुष चिकित्सा सेवा विशेषज्ञ उप-सम्वर्ग ।

इस सम्वर्ग के चिकित्सक राज्य में कहीं भी स्थानान्तरित किये जा सकेंगे ।

6. जिला आयुष चिकित्सा सम्वर्ग के लिए चिह्नित पदों को छोड़कर, अन्य सभी पद राज्य आयुष चिकित्सा सम्वर्ग के पद माने जायेंगे।

7. राज्य आयुष चिकित्सा सम्वर्ग में नियुक्त राज्य सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पदाधिकारी /आयुष विशेषज्ञ ग्रेड-11 के पद पर होगी । प्रत्येक वर्ष उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इनका चयन किया जायेगा। यह चयन आयोग के माध्यम से होगा एवं राज्य सरकार द्वारा विहित आरक्षण नियमों का पालन आवश्यक होगा।

8. सामान्य कर्त्तव्य उप सम्वर्ग में नियुक्त के लिए कम से कम दो वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा । विशेषज्ञ उप-सम्वर्ग में नियुक्त के लिए स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

9. (क) विभिन्न पदों के वेतनमान इस नियमावली की अनुसूची - 1 के अनुसार होंगे।

(ख) निम्नलिखित पद प्रशासनिक माने जायेंगे :-

(i) प्रभारी आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

(ii) उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/रिफरल अस्पताल/अनुमण्डलीय अस्पताल/सदर अस्पताल/आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध अस्पताल / शोध पदाधिकारी (आयुष)।

(iii) जिला मुख्य आयुष चिकित्सा पदाधिकारी/ उप निदेशक (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथिक) (आयुष प्रक्षेत्र)/ आयुष अधीक्षक/ प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, पटना एवं उसके समकक्ष पद ।

(iv) निदेशक (आयुष प्रक्षेत्र)/क्षेत्रीय निदेशक आयुष ।

(v) महानिदेशक आयुष/निदेशक प्रमुख आयुष ।

क्रमांक (i) एवं (ii) में उल्लिखित पद संबंधित अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों में से वरीयता के आधार पर भरे जायेंगे। क्रमांक (iii) में उल्लिखित पदों की कुल संख्या जिला मुख्य आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत पदों से तीन गुनी होगी। इस स्तर के वरीयतम पदाधिकारियों में से वरीयता एवं दक्षता के आधार पर जिला मुख्य आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों का चयन किया जायेगा। जिसमें स्वीकृत पद का 50 प्रतिशत आयुर्वेद, 20 प्रतिशत यूनानी एवं 30 प्रतिशत होमियोपैथिक प्रक्षेत्र से भरा जायेगा । उप निदेशक के समकक्ष पद विभाग द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे। क्रमांक (iii) एवं (iv) में उल्लिखित कुल पदों में से सामान्य कर्त्तव्य उप सम्वर्ग एवं विशेषज्ञ उप सम्वर्ग के लिए विभाग द्वारा अलग-अलग संख्या निर्धारित की जायेगी। क्रमांक (v) में उल्लिखित पद पर चयन क्रमांक (iv) में उल्लिखित पद से से वरीयता के आधार पर होगा।

10. इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत आयुष चिकित्सक इस सेवा में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

11. डायनेमिक ए०सी०पी०।-

(क) राज्य आयुष चिकित्सा सेवा के चिकित्सकों को छः वर्ष की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पूरी करने के पश्चात् पद के स्तर उन्नयन के साथ, प्रथम वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा । द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन, पद के स्तर उन्नयन के साथ, प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने के छः-छः वर्षों के समान अंतराल के पश्चात् अनुमान्य होगा :

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को कार्यरत आयुष चिकित्सकों के मामले में उपर्युक्त कंडिका में “छः वर्ष की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा “ को छः वर्ष की सेवा पढ़ा जायेगा एवं डायनेमिक ए०सी०पी० के कारण वेतन सेवा की कुल अवधि के आधार पर नियत किया जायेगा।

नोट :- “ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा” से अभिप्रेत है ऐसे सरकारी अस्पतालों में की गयी सेवा जो नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर हों ।

(ख) डायनेमिक ए०सी०पी० की सुविधा अधिकतम 14300-18300। (पे बैंड 37400-67000+ग्रेड-पे-8700)के वेतनमान तक अनुमान्य होगी ।

12. परिवीक्ष अवधि / प्रशिक्षण/ विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि।- इनके संबंध में विभाग अलग से दिशा निर्देश निर्गत करेगा ।

13. डायनेमिक ए०सी०पी०/ प्रोन्नति के लिए निर्धारित अर्हतायें :-

(i) दो वर्षों की संतोषप्रद परीक्ष्यमान अवधि की सेवा के पश्चात् आयुष चिकित्सकों की सेवा सम्पुष्ट की जायेगी, बशर्ते इन्होंने सरकार द्वारा विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता एवं कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो ।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर डायनेमिक ए०सी०पी०/ प्रोन्नति विचारणीय होगी । विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित बातों पर विचार कर डायनेमिक प्रोन्नति के लिए अनुशंसा करेगी:-

(क) संतोषप्रद चारित्रिक अभ्युक्तियाँ ।

(ख) स्वच्छता प्रतिवेदन (कम से कम आंतरिक निगरानी से) प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ग) राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय - समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अन्य मापदंड, यथा सामान्य प्रोन्नति के लिए कालावधि का पूरा होना।

(iii) विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे । अन्य सदस्य नियमानुसार होंगे ।

(iv) आरक्षण ।- डायनेमिक ए०सी०पी० के लिए अलग से आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उक्त प्रावधानों से ही स्वीकृत पदों का स्तर उन्नयन हो जाता है किन्तु उच्च पदों पर नियमित प्रोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण / रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा ।

14. अनुसूची-1 में उल्लिखित वेतनमान का पद उस वेतनमान में सृजित एवं चिह्नित माने जायेंगे।

15. राज्य चिकित्सा सम्बर्ग की सेवा शर्त निर्धारित करने के उद्देश्य से बनी नियमावली में जो भी संशोधन होगा वह आयुष प्रक्षेत्र में भी स्वतः लागू माना जायेगा ।

16. निरसन।- इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से सभी संबंधित विभागीय अधिसूचनायें/संकल्प इस हद तक निरसित समझे जायेंगे । पूर्व के मामलों पर की जा रही कार्रवाई इस नियमावली से प्रभावित नहीं होगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम कुमार पाण्डेय,
सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची-1

राज्य आयुष चिकित्सा सम्बर्गों में पदों की श्रेणियाँ :-

(1) सामान्य कर्तव्य उपसम्बर्ग :-

(i) चिकित्सा पदाधिकारी आयुष- 8000-13,500 (पे बैड 15600-39100+ग्रेड पे0 5400)

(ii) वरीय चिकित्सा पदाधिकारी आयुष 10,000-15,200 (पे बैड 15600-39100+ग्रेड पे0 6600)

शोध पदाधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी शोध इकाई बिहार, पटना, राजकीय आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय के उपाधीक्षक एवं दस शय्या युक्त होमियोपैथिक अस्पताल, पटना के उपाधीक्षक।

(iii) उप मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आयुष 12,000-16,500 (पे बैड 15600-39100+ग्रेड पे0 7600)

(iv) मुख्य आयुष चिकित्सा पदाधिकारी 14,300-18,300 (पे बैड 37400-67000+ग्रेड पे0 8700)

(2) विशेषज्ञ उपसम्बर्ग :-

(i) विशेषज्ञ ग्रेड II - 8000-13,500 (पे बैड 15600-39100+ग्रेड पे0 5400)

(ii) विशेषज्ञ ग्रेड I - 10,000-15,200 (पे बैड 15600-39100+ग्रेड पे0 6600)

(iii) वरीय विशेषज्ञ 12,000-16,500 (पे बैड 15600-39100+ग्रेड पे0 7600)

(iv) कन्सल्टेंट 14,300-18,300 (पे बैड 37400-67000+ग्रेड पे0 8700)

(3) संयुक्त प्रशासनिक पद :-

(i) जिला मुख्य आयुष चिकित्सा पदाधिकारी/प्रबंधक/अधीक्षक/उपनिदेशक

(आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथिक) 14,300-18,300 (पे बैड 37400-67000+ग्रेड पे0 8700)

(ii) निदेशक (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथिक)/

क्षेत्रीय निदेशक आयुष 16,400-20,000 (पे बैड 37400-67000+ग्रेड पे0 8900)

(iii) महानिदेशक आयुष/18,400-22,400 (पे बैड 37400-67000+ग्रेड पे0 10,000)

निदेशक प्रमुख (आयुष)

नोट:—जिला आयुष चिकित्सा सम्बर्ग के चिकित्सकों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियत वेतन की प्राप्ति होगी ।

राम कुमार पाण्डेय,
सरकार के अपर सचिव।

The 21st December 2010

F.No.-16/M1-03/08-1026 (दे० चि०)-Health(De-Chi)—In exercise of Powers conferred by Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules relating to the Appointment and service conditions of the District and State Ayush (Non- teaching) Doctors. :-

Chapter-1: Preliminary

1. *Short title, extent and commencement*:—(1) These Rules may be Called the Bihar District Ayush Medical/ State Ayush Medical Service (Appointment on Regular./ Contract basis and service conditions) Rules, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in the Bihar Gazette.

2. *Definitions* :- In these Rules, unless the context otherwise requires :-

(a) “State Health Society/ District Health Society” means a Society constituted under the societies Registration Act as per guidelines of the National Rural Health Mission.

(b) “Government” means Government of Bihar ;

(c) “Department” means Health Department ;

(d) “Commission” means Bihar Public service commission ;

(e) “Specialist Doctors” means a doctor who has obtained Post graduate Degree as M.D/ M.S or equivalent or Higher Degree from a recognized Ayush sector teaching institution and that degree must be recognized by the Central Indigenous medical council / Central Council of Homoeopathic ;

(f) “Ayush” means Ayurved, yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathic Systems of treatment ;

(g) “Directorate” means Ayush directorate under the Health Department ;

(h) “Cadre” means a part of services as Separate unit ;

(i) “Seniority” means the Cadre seniority in basic grade. Upper post of basic grade of the cadre of Ayush sector shall be Higher posts of the cadre ;

3. *Constitution of Services* :-Bihar District Ayush medical/ state Ayush medical service shall be divided in the following two cadres.

(a) District Ayush medical cadre ;

(b) State Ayush medical cadre.

Chapter – 2 :

District Ayush Medical Cadre

4. (a) All doctors working in Additional Primary Health Centre, Primary Health Centre and State Dispensary (Ayurved, unani & Homoeopathic) shall be in District Ayush Medical cadre. All Doctors working in Referral Hospital, Sub-Divisional Hospital, Sadar Hospital, Hospitals of Medical colleges of Ayush sector. State Ayurved & Unani Pharmacy and research unit, Doctors of State Ayush Medical Service

Specialist Sub-cadre of clause (b)of Rule-5 of chapter -3, Incharge Medical Officer, Dy Superintendents and first Medical officer of PH.C and Referral Hospital shall be in State Ayush Medical Cadre.

(b) Every year doctors shall be selected having regard to available vacancies as per the prescribed procedure and on the basis of advertisement for which guidelines shall be issued from time to time by the Department separately.

(c) Age limit- the maximum age limit as prescribed by the government (General Administration Department) from time to time shall be applicable.

- (d) Reservation—It shall be necessary to follow the reservation rules prescribed by the State Government.
- (e) In the District Ayush Medical cadre, doctors shall be selected on contract basis and shall work for at least two years. On their satisfactory services, extension of service may be made. All posts of this cadre shall be filled on contract basis and no permanent/ temporary appointment shall be on these posts. The services shall be extended after satisfactory performance. Doctors of this cadre can be transferred any where in the concerned district.

Chapter- 3:

State Ayush Medical cadre

5. The following two sub- cadres shall be in State Ayush Medical Cadre :-
- (a) State Ayush medical service General Duty sub- cadre and
- (b) State Ayush medical service specialist sub- cadre.
- Doctors of this cadre maybe transferred any where in the state.
6. All other posts except the posts identified for the District Ayush cadre, shall be deemed to be post of the State Ayush Medical Cadre.
7. Appointment in the State Health Ayush Cadre shall be made by the state Government on the posts of Ayush Medical officer/ Ayush Specialist grade II. They shall be selected every year having regard to available vacancies through a competitive examination according to prescribed procedure. The selection shall be made through commission and it shall be necessary to follow the reservation rules prescribed by the state Government.
8. It shall be necessary to have a working experience of at least two years in rural area Hospitals or appointment in the General Duty sub- cadre. For appointment in specialist sub- cadre, it shall be essential to have a post graduate degree.
9. (a) Pay scales for different posts shall be as per schedule -1 of these Rules
- (b) The following posts shall be deemed to be administrative posts ;
- (i) Incharge Ayush Medical officer, Primary Health Centre.
- (ii) Dy. Superintendent, Incharge Officer, Referral hospital/ Sub-Divisional Hospital/‘Sadar Hospital, Hospitals relating to Medical Colleges of Ayush sector/ Research Officer (Ayush).
- (iii) District chief Ayush Medical Officer/ Dy. Director (Ayurved, Unani & Homoeopathic) (Ayush Sector) / Ayush Superintendent/ Manager, State Ayurvedic and Unani Drug Pharmacy, Patna & equivalent posts.
- (iv) Director (Ayush sector)/ Regional Director Ayush.
- (v) Director General/ Director in Chief Ayush.

- Post mentioned in Sl. No. (i) & (ii) shall be filled on the basis of seniority from amongst working doctors in the concerned Hospital. The total No. of Posts mentioned in Sl. No. (iii) Shall be three times to the total No. of sanctioned posts of District chief Ayush Medical Officer. District Chief Ayush Medical Officer will be selected from amongst the senior doctors of this level on the basis of seniority and efficiency in which 50% posts of Ayurved, 20% posts of Unani and 30% posts of Homoeopathic sector shall be filled out of sanction posts. The posts equivalent to Dy. Director shall also be notified by the Department. Out of total No. of posts mentioned in Sl.No-(iii) and (IV), separate number of the posts shall be decided by the Department for general duty Sub-Cadre and specialist Sub-Cadre. The selection to the posts mentioned in sl. no-(v) shall be made from the posts mentioned in sl. no .- (iv)
10. All Ayush Doctors appointed on the basis of seniority and working prior to the coming into force of these Rules, shall be automatically deem to be included in this service.
11. Dynamic ACP:-
- (a) Doctors of State Ayush Medical Service shall be granted first financial progression, along with progression of level of post on completion of six years of rural health service. Second and third financial progression, along with progression of post, shall be granted after equal intervals of 6 years after getting the first financial progression:
- Provided that for the Ayush Doctors in service on the date of the coming into force of these Rules “Six years of rural health service” mentioned in the above paragraph shall be read as “service of Six years” and due to dynamic ACP pay shall be fixed on the basis of total length of service.
- NOTE:-Rural health service means, service rendered in such Hospitals which are outside the area of Nagar Nigam/ Nagar Parishad/ Nagar Panchayat .
- (b) The facility of dynamic ACP shall be admissible maximum up to the pay scale of 14300- 18300 (PB 37400- 67000+ grade Pay-8700)
12. Probation period/ training/ Departmental examination/ confirmation, the Department shall issue guidelines in this respect separately.
13. Qualification required for Dynamic ACP/ promotion:

- (i) Service of Ayush Doctors shall be confirmed after satisfactory Service of probation period of two years provided that they have passed the prescribed Departmental Examination and obtained the necessary Treasury Training.
- (ii) The Dynamic ACP/ Promotion shall be considerable on the basis of the recommendation of Departmental Promotion Committee. Departmental Promotion Committee shall, after considering the following facts recommend for the Dynamic ACP/ Promotions :-
- (a) Satisfactory Character Roll
- (b) To obtain Clearance Report (at least from internal vigilance) shall be essential.
- (c) Other criteria fixed for this purpose from time to time by the State Government (General Administration department) namely, completion of kalawadhi for general promotion.
- (iii) Development commissioner shall be the Chairman of the Departmental Promotion Committee. Other members shall be as per Rules.
- (iv) Reservation – separate reservation shall not be necessary for dynamic ACP as by said provisions only the level of the sanctioned posts itself is elevated but for regular promotion to the higher post it shall be essential to follow the reservation / Roster
14. Posts of the Pay scale mentioned in schedule-I shall be treated as created & identified in those scales.
15. Which ever amendments shall be in the Rules made for the purpose of determining the service condition of the State Medical Cadre shall be deemed to be applicable to the Ayush Sector Automatically.
16. Repeal – All Concerned Departmental Notifications/ Resolutions shall be deemed to be repealed to this extent with effect from the date of coming into force of these Rules. Any action being taken in previous cases shall not be affect by these Rules.

By order of the Governor of Bihar
RAM KUMAR PANDAY,
Additional Secretary to the Government.

Schedule – I**Category of Posts In state Ayush Medical cadre**

(1) General Duty Sub- Cadre :-

(i) Medical Officer Ayush 8000 – 13,500 (PB 15,600 -39100+GP 5400)

(ii) Senior Medical Officer Ayush -10,000-15,200 (PB 15600-39100+GP 3600)

Research Officer State

Ayurvedic & Unani Research
Unite Bihar, Patna/

Dy. Superintendent of State

Ayush sector Medical College

Hospitals/ Dy. Superintendent
of 10 Bed Govt.

Homoeopathic Hospital, Patna.

(iii) Dy. Chief Medical Officer Ayush -12000 – 16500 (PB15600 –39100+ GP7600)

(iv) Chief Ayush Medical Officer -14300 – 18300 (PB 37400 -67000 + GP 8700)

(2) Specialist Sub- cadre :-

(i) Specialist Grade II - 8000 -13500 (PB 15600 – 39100+ GP 5400)

(ii) Specialist Grade I - 10000 – 15200 (PB 15600 – 39100+ GP 6600)

(iii) Senior Specialist - 12000 – 16500 (PB 15600 – 39100+ GP 7600)

(iv) consultant - 14300 – 18300 (PB 37400 -67000+ GP 8700)

(3) Combined Administrative Post :-

(i) District Chief Ayush Medical Officer/ Manager/ Superintendent/Dy.
Director (Ayurved, Unani & Homoeopathic) 14300-18300 (PB. 37400
67000+ GP 8700)(ii) Director (Ayurved, Unani & Homoeopathic/ Regional Director Ayush)
-16400-20000(PB.37400- 67000+GP.8900)(iii) Director General Ayush /Director in chief Ayush-18400-22400
(PB.37400-6700+GP.10000)Note—Doctors of District Ayush Medical Cadre shall get fixed pay as determined by
the Government from time to time.

RAM KUMAR PANDAY,

Additional Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 794-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>